पत्रांक–अ०सं०क०–23–08 / 2014 (पार्ट–1)............../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफ़ाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ,

दिनांक–......................

विषयः– **बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल उपबंधित राशि ₹116.00 लाख (एक करोड़ सोलह लाख रूपये) में से राशि ₹38.00 लाख (अड़तीस लाख रूपये) मात्र निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत आय–व्यय मुख्य शीर्ष 2250 अन्य सामाजिक सेवाये–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय– मांग संख्या–30–उप शीर्ष–0003 बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को अनुदान विस्तृत शीर्ष–31–सहायक अनुदान, विषय शीर्ष–06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में विपत्र कोड 30–2250008000003 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

2. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायक अनुदान गैर वेतन मद में कुल उपबंधित राशि ₹116.00 लाख (एक करोड़ सोलह लाख रूपये) में से राशि ₹38.00 लाख (अड़तीस लाख रूपये) मात्र निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्त विभाग के परामर्शानुसार बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड अपनी परिसम्पत्तियों का बेहतर आर्थिक प्रबंधन कर आय बढ़ाने के लिए योजना तैयार करे तथा बिना संसाधन के अपने व्यय या दायित्वों को न बढ़ायें और दायित्वों को अपनी आय तक सीमित रखें।

4. उक्त राशि का व्यय बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा गैर वेतन मद में की जायेगी अगर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं होता है तो शेष राशि राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

5. उक्त राशि ₹38.00 लाख (अड़तीस लाख रूपये) मात्र की निकासी **BTC-42** के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में की जायेगी। उक्त अनुदानित राशि का निकासी कर **Bihar State Shia Waqf Board, Patna** के **PL Account No.- PTSPLA030, Ledger ID. No.-23340** में **CFMS** के माध्यम से अंतरित कराया जायेगा।

6. सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवंटनादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना अनुदान की राशि के व्यय का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

कृ०पृ०उ०

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, 2063/वि० दिनांक–11.03.2016 एवं 235, दिनांक–01.04.2025 के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निकासी के दौरान वित्तीय नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

10. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–23–08/2014 (पार्ट–1)................... पटना, दिनांक–...................................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–23–08/2014 (पार्ट–1)................... पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/वित्त विभाग (वित्त शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–23–08/2014 (पार्ट–1)................... पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–23–08/2014 (पार्ट–1)......................./ पटना, दिनांक–...............................

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–23–08/2014 (पार्ट–1)....50....... पटना, दिनांक–....29/04/26.......

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/4

विशेष सचिव–सह–निदेशक